19.10.2022 पत्रावली पेश।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को तलबी के
बाद जवाब हेतु पर्याप्त अवसर के बाद भी
जवाब पेश नहीं कीये जाने पर उसके खिलाफ
एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर, प्रार्थीपत्र
पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन
कीया कि माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण का दावा
[illegible] आवेदन संख्या 42/2019 विचाराधीन
संख्या 16/201[illegible]
है। आवेदन [illegible] श्रीमान न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण
को मौके एवं रेकर्ड को यथास्थिति बनाये रखने
हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद कीया जावे का

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश जारी हो रखा है, उसके बावजूद भी विप्रार्थीगण विवादित खेत खसरा संख्या 166 में जबरदस्ती आदेशो की पालना नहीं करते हुए नया निर्माण करने पर उतारू है। उन्होंने [illegible] दिवस पूर्व टांका निर्माण हेतु सामग्री डालकर टांका खुदाई का कार्य प्रारंभ कीया गया, हम प्रार्थीगण द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत बिलाड़ा को स्थगन की प्रति एवं प्रार्थना-पत्र उपलब्ध करवाने पर भी कार्य न रोका गया, उक्त कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा एवं थानाधिकारी बिलाड़ा को स्थगन आदेश की पालना हेतु प्रार्थना-पत्र पेश कीया, उसके बाद मौके पर जाकर पाबंद करने के बावजूद भी निर्माण कार्य करने का प्रयास कीया जा रहा है। यदि मौके पर निर्माण कार्य होता है तो प्रार्थीगण को नुकसान होगा एवं श्रीमान के आदेश की भी अवज्ञा होगी, श्रीमान के स्थगन आदेश के बावजूद भी [illegible] जारी रख कर, टांका निर्माण का कार्य करके उक्त आदेशो की अवज्ञा के आमादा है अतः उनके खिलाफ कार्यवाही कर, आदेशों की पालना करवाये।

हमने न्यायिक [illegible] से प्रार्थीगण वकील की मौखिक बहस एवं पेश किये दस्तावेजो का अवलोकन कीया जिसके परिप्रेक्ष्य में विवेचना से यह साबित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मौखिक आधार पर आदेशो के पालना की बात कही गयी है कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कीया गया, मौके पर निर्माण, मौके पर पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ आदि के [illegible] केवल मौखिक के आधार पर [illegible] जाना साबित नहीं होता है, [illegible] मात्र प्रार्थना पत्रों के पेश मात्र से किसी भी विप्रार्थीगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2(A) एवं सपठित धारा 151 CPC तथ्यरहित एवं बिना सबूतो के आधार पर खारिज कीया जाकर फैसला शुमार हो। पत्रावली नम्बर से खारिज हो।

[illegible] 19/10/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.11.17 16:21:23 IST
Reason: SelfAttested